श्रीमान जी,

पटवारी रिपोर्ट

प.ह. कानपुरा के राजस्व ग्राम कानपुरा के खाता सं. 33 में खातेदार पुत्र बाबूखां दि. 1/4 जाति मुसलमान नाम दर्ज है अशुद्ध है। अतः खातेदार नाम अलग अलग दर्ज होना था परन्तु विरासत का नामा से अन्त दोनो खातेदार दि दर्ज हो गया था अतः श्रीमान जी महबूब मुराद पुत्र बाबू खां का नाम अलग अलग उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट

श्रीमानजी,

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व फिल्गन ग्राम पं. फिलगड़ा सरपंच व तह. हल्का नं. फिलगड़ा अनुसार महबूब व मुराद पुत्र बाबूखां दो अलग-2 है। अतः तदानुसार खाता भिन्न माना सिफारिश प्रस्तुत है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

रिपोर्ट पटवारी एवं स्वीकृत

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
814 क्रमांक / 489

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

दिनांकः– 19/12/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम .....तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या .....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	प्रकरण में इन्द्राज कुछ भी सिद्ध नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है					

क्रमांक :– 6518-19 दिनांक :– 19/12/25

प्रतिलिपि :– (1.) तहसीलदार नसीराबाद।
(2.) अपेक्षा पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर